



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



13 भाद्र 1946 (श०)

संख्या - 28 राँची, बुधवार

4 सितम्बर, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 400-427 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना**2 जुलाई, 2024**

संख्या-1/विविध-804/2024 का0- 4328--श्रीमती शताब्दी मजूमदार, भा.प्र.से. (झा:2020) को विभागीय अधिसूचना संख्या 1180 दिनांक 16.02.2024 द्वारा दिनांक 11.01.2024 से 08.07.2024 तक कुल 180 दिनों के लिए स्वीकृत मातृत्व अवकाश को संशोधित करते हुए भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय जापन संख्या-13018/1/2010, दिनांक-07.09.2010 के तहत दिनांक 11.01.2024 से 10.06.2024 तक कुल 152 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना**9 जुलाई, 2024**

सं०सं०-02/नि०सं०-258/2012 का०- 4490--स्व० नागेन्द्र कुमार सिन्हा, भूतपूर्व भा०प्र०से० (झा०प्र०से० से प्रोन्नत), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, रामगढ़ का दिनांक 08.01.1996 से 16.01.1996 तक (कुल 9 दिन) की अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180 (ख) के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2024

सं०सं०-02/नि०सं०-404/2012 का०- 4573--श्री प्रदीप तिग्गा, भा०प्र०से० (तत्कालीन झा०प्र०से० कोटि क्रमांक 701/03) अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची का निम्नलिखित अवधियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 (2) के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक 13.08.2000 से 05.11.2000 तक (कुल 85 दिन)
- (ii) दिनांक 26.04.2001 से 03.05.2001 तक (कुल 08 दिन)
- (iii) दिनांक 16.12.2001 से 10.01.2002 तक (कुल 26 दिन)
- (iv) दिनांक 21.05.2002 से 10.07.2002 तक (कुल 51 दिन)
- (v) दिनांक 18.08.2006 से 07.01.2008 तक (कुल 508 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।-----
अधिसूचना

8 अगस्त, 2024

संख्या-13/डी₁-107/2023-4884--सी०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-I-21015/21/2024-IPS.III, दिनांक-28.06.2024 के आलोक में श्री शुभांशु जैन, भा०पु०से० (2019), पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा (SIB), झारखण्ड, राँची को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर आसूचना ब्यूरो, भारत सरकार में सहायक निदेशक (पुलिस अधीक्षक स्तर) के पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संतोष कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।**गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**-----
अधिसूचना

18 जून, 2024

संख्या-11/बंदी विविध-10/2024-4913--झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की दिनांक- 05.08.2024 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् बंदियों को कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०	बंदी का विवरण	सत्रवाद सं०, धारा एवं न्यायालय का नाम
1.	संग्राम मुण्डारी, पे० बाटे मुण्डारी, ग्राम-बण्डरा, थाना-बन्दगाँव, जिला-पश्चिमी सिंहभूम। बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची।	सत्रवाद संख्या-170/08, जी०आर०-97/08 बन्दगाँव थाना कांड संख्या-17/08. धारा-302/34 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, श्री उदय नारायण मिश्रा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा। सजा की अवधि-आजीवन कारावास एवं Fine Rs-5,000/-
2.	राजेश कच्छप, पे० सुरेन्द्र भगत, ग्राम-लोवर वर्द्धमान कम्पाउण्ड, थाना-लालपुर, जिला-राँची। बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची।	सत्रवाद संख्या-594/03, जी०आर०-1712/03 लोवर बाजार थाना काण्ड संख्या-85/03, धारा-302/34 भा०द०वि० एवं 25 (1-B) & 27 Arms Act माननीय न्यायालय, श्री अनंत कुमार सिंह, अपर न्यायायुक्त-XVIII, राँची सजा की अवधि-आजीवन कारावास एवं Fine Rs-5,000/-
3.	अख्तर अंसारी, पे०-स्व० सुद्दीन अंसारी, ग्राम-काँवाखाप, थाना-कुडू जिला-लोहरदगा। बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची।	सत्रवाद संख्या-217/2006, जी०आर०-255/2006, कुडू थाना काण्ड संख्या-54/2006, धारा-364, 302/34 भा०द०वि० एवं 27 (1) आर्म्स एक्ट माननीय न्यायालय, श्री गौतम कुमार चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा। सजा की अवधि-आजीवन कारावास एवं Fine Rs-1,500/-/D-25 Days
4.	जहीर अंसारी, पे० स्व० सहामत अंसारी, ग्राम काँवाखाप, थाना-कुडू, जिला-लोहरदगा। बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची।	सत्रवाद संख्या-217/2006, जी०आर०-255/2006, कुडू थाना काण्ड संख्या-54/2006, धारा-364, 302/34 भा०द०वि० एवं 27 (1) आर्म्स एक्ट माननीय न्यायालय, श्री गौतम कुमार चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा आजीवन कारावास एवं Fine Rs-1,500/-/D-25 Days
5.	लावू उर्फ लक्ष्मण सवैया, पे० स्व० सतारी सवैया, ग्राम-किरीगोट (गितिलपी). थाना-मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम। बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची।	सत्रवाद संख्या-43/2009, जी०आर०-562/2008, मुफ्फसिल थाना काण्ड संख्या-87/2008, धारा-302 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, श्री उदय नारायण मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II, चाईबासा। आजीवन कारावास एवं Fine Rs-10,000/-

6	शीतल महतो, पे० चामू महतो, ग्राम-अम्बाडीपा, थाना-टाटीसिल्वे, जिला-राँची। बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा. होटवार, राँची ।	सत्रवाद संख्या-703/2009, जी०आर०-2498/2009, टाटी सिल्वे थाना काण्ड संख्या-36/2009, धारा-302/34 भा०द०वि० । माननीय न्यायालय, श्रीमती सीमा सिन्हा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-III, राँची। आजीवन कारावास एवं Fine Rs-5,000/-I/D-01 Month.
7	यमुना उराँव, जिला-गुमला। पे० सोमा उराँव, ग्राम-जाँकारी, थाना-घाघरा, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची ।	सत्रवाद संख्या-19/05, जी०आर०-669/04, घाघरा थाना काण्ड संख्या-55/04, धारा-302 भा०द०वि० । माननीय न्यायालय, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुमला। आजीवन कारावास एवं Fine Rs-1,000/-I/D-06 Month.
8	लेपो मुण्डा, पे० स्व० बड़ाई मुण्डा, ग्राम-परमडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची। बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची ।	सत्रवाद संख्या-239/06, जी०आर०-684/05 तमाड़ थाना काण्ड संख्या-126/05, धारा-302 भा०द०वि० । माननीय न्यायालय, श्री उदय नारायण मिश्रा, अपर न्यायायुक्त प्रथम, खूँटी। आजीवन कारावास एवं Fine Rs-2,000/-
9	गुरुवा मुण्डा, पे० स्व० युगल मुण्डा, ग्राम-अमलेश, थाना-तमाड़, जिला-राँची बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची ।	सत्रवाद संख्या-455/1991, जी०आर०-450/1990, तमाड़ थाना काण्ड संख्या-66/1990, धारा-148, 302/34 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, अपर न्यायायुक्त-1, खूँटी आजीवन कारावास ।
10	सीताराम बारीक, पे० बिरंची बारीक, स्थायी पता- ग्राम-पाण्डूपानी, थाना- तिरिंग, जिला-मयुरभंज (उड़ीसा) एवं वर्तमान पता-ग्राम-केड़ेसाई, थाना- राजनगर, जिला-सरायकेला। उम्र-54 वर्ष लगभग । बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची ।	सत्रवाद संख्या-114/04, जी०आर० संख्या-455/04. राजनगर थाना काण्ड संख्या-24/04, धारा-302 भा०द०वि० । माननीय न्यायालय, मो० कासीम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, सरायकेला। आजीवन कारावास एवं Fine Rs-5,000/-1/D-03 Months.

11	राधा महतो, उम्र-90 वर्ष, पे० जानकी महतो, ग्राम ब्यांग, थाना-रामगढ़ प्रोजेक्ट, जिला- हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-296/96, रामगढ़ प्रोजेक्ट थाना काण्ड संख्या-112/96, G.R.-727/96, U/S-302/34 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-1, हजारीबाग। R.I. for Life
12	नवल कुम्हार, उम्र-76 वर्ष लगभग पे० झुबर कुम्हार, ग्राम मयूरहंड, थाना- ईटखोरी, जिला-चतरा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-362/87, ईटखोरी थाना काण्ड संख्या-72/87, U/S-302/34, 449 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-1, हजारीबाग। R.I. for Life
13	जितेन्द्र कुमार राय, उम्र-51 वर्ष लगभग पे० हर्ष राय, ग्राम बाभनटोली, थाना- गिरिडीह नगर, जिला- गिरिडीह। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-11/03, धनबाद थाना काण्ड संख्या- 281/02, जी.आर-1405/02, U/s-364(A)/120 (B) IPC माननीय न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय - 3, धनबाद। R.I. for Life Fine-5,000/-
14	दाउद अंसारी, उम्र-70 वर्ष लगभग, पे० स्व० नूर अंसारी, ग्राम-मंजुरा, थाना- कसमार, जिला-बोकारो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-391/06, कसमार थाना काण्ड संख्या- 33/06, जी०आर०-447/06 U/s-148, 342/149, 302/149 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-1, बेरमो स्थित तेनुघाट। R.I. for Life Fine- 10,000/-I/D- 06 Month
15	मनोज सिंह, पे० सत्य नारायण सिंह, उम्र-41 वर्ष (लगभग)। ग्राम-तेतरिया, थाना-मदनपुर, जिला-औरंगाबाद / वर्तमान पता-शिव मंदिर कथारा, थाना-गोमिया, जिला- बोकारो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-122/03, गोमिया थाना कांड संख्या 95/02, धारा-302/34, 307/34 भा.द.वि. अपर सत्र न्यायाधीश-1. बेरमो स्थित तेनुघाट।

16	राहु लदेव पाण्डेय उम्र लगभग 38 वर्ष, पे० शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय ग्राम-परैयाखुर्द, थाना-परैया, जिला-गया (बिहार)। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-440/2005, चौपारण थाना कांड संख्या-68/2005, धारा-302 IPC माननीय न्यायालय, सत्र न्यायाधीश-3, हजारीबाग । R.I. for Life, Fine-10,000/-
17	भुनेश्वर गंझू, पे० स्व० बालो गंझू, उम्र लगभग 36 वर्ष ग्राम-कजरी, थाना-माण्डु (चरही), जिला-हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-307/07, माण्डु (चरही) थाना कांड संख्या-113/07. जी.आर.-848/07, धारा-302 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-2, हजारीबाग। R.I. For Life, Fine-05,000/-, I/D-01 Year
18	इन्दर सिंह, पे० हीरो सिंह उम्र लगभग 48 वर्ष ग्राम-पारडीह, थाना-बैगाबाद, जिला-गिरिडीह। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-249/06, बैगाबाद थाना कांड संख्या-178/05, धारा-302, 307, 309 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-1, गिरिडीह। R.I. for Life, Fine-10,000/-, I/D-01 Year
19	विनोद कुमार यादव, उम्र लगभग 57 वर्ष पे० गजानन्द गोप, ग्राम-ओरिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-17/06, सदर थाना कांड संख्या-211/05, जी.आर.-1327/05, धारा-302, 201 IPC & 3/4 D.P. Act माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-2, हजारीबाग। R.I. For Life, Fine-25,000/-, I/D-05 Month, 15 Days
20	कौलेश्वर राणा, उम्र लगभग 63 वर्ष पे० केवल राणा, ग्राम-बेलहर, थाना- ईटखोरी, जिला-चतरा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-118/07, ईटखोरी थाना कांड संख्या-09/07, जी.आर.- 54/07, धारा-302/34, 494 IPC माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-3, चतरा। R.I. For Life

21	परवेज आलम उर्फ टिकरा उर्फ हैदर उर्फ समीम, उम्र लगभग 45 वर्ष पे० मो० अकील, ग्राम-महावत कुली, थाना-कतरास, जिला-धनबाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-99/08, कतरास थाना कांड संख्या- 293/07, धारा-302, 392, 411 IPC & 27 Arms Act. माननीय न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, धनबाद। R.I. for Life Fine-5,000/-I/D-03 MonthFine Amount Paid
22	मो० इस्लाम खान, उम्र लगभग 37 वर्ष पे० मो० कादीर खान, ग्राम-नीचे क्वाटर संडे बाजार, थाना-गाँधीनगर (बेरमो), जिला-बोकारो लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-305/11 बेरमो (गाँधीनगर) थाना कांड संख्या-57/11, जी०आर० 488/11 धारा-304B IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय त्वरित न्यायालय बेरमो स्थित तेनुघाट। R.I. For Life
23	बिनोद रविदास, उम्र लगभग 36 वर्ष पे० सुरेन्द्र रविदास, ग्राम-खुरजीयो, थाना- डुमरी, जिला-गिरिडीह । लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग ।	सत्रवाद संख्या-36/09, डुमरी थाना कांड संख्या-52/08, धारा-304B/34 IPC माननीय न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गिरिडीह। R.I. For Life
24	छोटे लाल महतो पे०-स्व० बितना महतो उम्र-57 वर्ष लगभग पता: बानसाई, टोला-उडकिया, थाना-मनोहरपुर, जिला- पश्चिम सिंहभूम । केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर ।	सत्रवाद संख्या-142/09 जी०आर०-56/09, मनोहरपुर थाना काण्ड सं०-07/09 धारा-302 भा०द०वि० । माननीय न्यायालय, श्री घनश्याम कुमार मल्लिक, अपर सत्र न्यायाधीश-1, चाईबासा । R.I. Life Imprisonment

25	गेजा मुण्डा पे०-स्व० बिनोद सिंह मुण्डा, उम्र-53 वर्ष लगभग पता-ग्राम-गुटुहातू थाना-कुचाई जिला-सरायकेला-खरसावाँ केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर ।	एस०टी०-164/06, जी०आर०-657/06, कुचाई थाना काण्ड सं०-24/06, धारा-302/34, 201/34 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, श्री पी०के० मैत्रा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला । R.I. Life Imprisonment Fine-2000/-I/D 06 Month
26	हरिहर साहु, पे०-स्व० प्रबोध साहु उम्र-78 वर्ष लगभग पता: ग्राम-दरियासोल, थाना-बरसोल, जिला-पूर्वी सिंहभूम । केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर ।	एस०टी०-310/11 जी०आर०-43/11. बहरागोड़ा (बरसोल) थाना काण्ड सं०-06/11 धारा-3048/34 भा०द०वि० । माननीय न्यायालय, श्री आलोक कुमार दुबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, घाटशिला। R.I. For Life Fine Rs-25,000/- I/D-09 Month
27	रुकमनी देवी, पति-सनत उर्फ काखु माईती, उम्र-75 वर्ष लगभग पता-ग्राम-बाघराचुड़ा, थाना-बहरागोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर ।	सत्रवाद संख्या-344/14 जी०आर०-207/14. बहरागोड़ा थाना काण्ड सं०-43/14, धारा-304B/34 भा०द०वि० माननीय न्यायालय, श्री आलोक कुमार दुबे, अपर सत्र न्यायाधीश, घाटशिला। R.I. For Life
28	सपन कुमार डे, पे०-चितरंजन डे, उम्र-42 वर्ष, पता-ग्राम-गाँधी टोला, थाना-सदर, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा। केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर ।	एस०टी०-182/10, 221/11, जी०आर०-368/10, सदर थाना काण्ड सं०-53/10, धारा-3048/34 भा०द०वि० माननीय न्यायालय, श्री आर० के० मिश्रा, अपर सत्र न्यायाधीश-II चाईबासा । R.I. For Life

29	बुधिया सबर, पे०-रिधो सबर, उम्र-48 वर्ष पता-ग्राम- बेसर पहाड़ी, टोला-सोदाम डेरा, थाना- डुमरिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम। केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर।	एस०टी०-102/09, जी०आर०-333/08, डुमरिया थाना काण्ड सं०-23/08, धारा 302/34 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, श्री बी० के० मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश घाटशिला। R.I. of Life with hard labour. Fine of Rs-2000/- I/D-06 Month of R.I.
30	रिधो सबर, पे०-स्व० गेड़ा सबर, उम्र-71 वर्ष पता- ग्राम बेसर पहाड़ी, टोला-सोदाम डेरा, थाना-डुमरिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम। केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर।	एस०टी०- 102/09, जी०आर०- 333/08, डुमरिया थाना काण्ड सं०- 23/08, धारा 302/34 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, श्री बी० के० मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, घाटशिला। R.I.L. for Life. Fine of Rs- 2000/-I/D-06 Month R.I
31	अरबिन्द गुहा, पे०-स्व० नन्द लाल गुहा, उम्र-67 वर्ष लगभग पता-ग्राम-वेस्ट लेआउट, जे० रोड, मकान नं०-531 थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम। केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर।	एस०टी०-385/07, जी०आर०-2255/07, सोनारी थाना काण्ड सं०-84/07, धारा 364, 302 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, श्री बी० के० गौतम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित निष्पादन कोर्ट-III, जमशेदपुर। R.I. Life Imprisonment
32	स्मिता गुहा, पति-अरबिन्द गुहा, उम्र-57 वर्ष पता- ग्राम-वेस्ट ले आउट जे० रोड, एच० नं०- 531, थाना-सोनारी जिला-पूर्वी सिंहभूम । केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर।	एस०टी०-385/07, जी०आर०-2255/07, सोनारी थाना काण्ड सं०-84/07 धारा-, 302, 34 भा०द०वि०। माननीय न्यायालय, श्री बी० के० गौतम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित निष्पादन कोर्ट-III. जमशेदपुर R.I. Life Imprisonment

33	थॉमस डेविड उर्फ गुड्डू, पे०-जोसेफ डेविड, उम्र-39 वर्ष पता:- ईस्ट ले आउट-1398, कागल नगर, थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम। केन्द्रीय कारा, घाधीडीह, जगशेवपुर।	सत्रवाद संख्या- 318/07 जी०आर०- 1267/07, सोनारी थाना काण्ड सं०-50/07, धारा-302 भा०द०वि० माननीय न्यायालय, श्री दिनेश चन्द्र राय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित निष्पादन कोर्ट-IX जमशेदपुर। सजा की विवरणी:- Undergo R.I. for Life and to pay a fine of Rs. 5000/- in default he shall further undergo R.I. for six months.
34	मजीद मियाँ, उम्र 37 वर्ष पे०-रफीक मियाँ ग्राम- चुटियाडीह, थाना-गाण्डेय, जिला- गिरिडीह। केन्द्रीय कारा, गिरिडीह।	सत्रवाद संख्या-525/2007 गाण्डेय थाना काण्ड संख्या- 53/2007, धारा-449,302/34 IPC माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-2, गिरिडीह। Life Imprisonment Fine- 10,000/-
35	सलीम मियाँ, उम्र-46 वर्ष, पे०-हबीब मियाँ ग्राम-चुटियाडीह, थाना-गाण्डेय, जिला-गिरिडीह। केन्द्रीय कारा, गिरिडीह।	सत्रवाद संख्या-525/2007 गाण्डेय थाना काण्ड संख्या- 53/2007. धारा-449,302/34 IPC माननीय न्यायालय, श्री दीपक नाथ तिवारी, त्वरित न्यायालय-2, गिरिडीह। Life Imprisonment
36	दानिएल मुर्मू उम्र 43 वर्ष लगभग पे०- त्रिभुवन मुर्मू पता-कठलबाड़ी साहेबगंज। प्राणिक टोला, रांगा, केन्द्रीय कारा, दुमका।	Fine-10,000/- Ranga PS-48/2006 GR-387/2006 SC-84/2007/34/ 2007 US-302/34 IPC ADJ (FTC), Rajmahal R.1 for Life and Fine of Rs. 5000/-I/D-01 Year.

37	शीतल दत्ता, उम्र 36 वर्ष लगभग, पे०-बिमल दत्ता, पता-डुमरिया छोटा खदारा थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा। केन्द्रीय कारा, दुमका ।	Mahagama PS-21/2009, GR-227/2009 ST-118/2009 US-364(A)/34 IPC Session Judge, Godda. R.I for Life and Fine 10000/-I/D-03 Month.
38	नारायण दास, पे०-स्व० बालेश्वर दास, पता-परासी, थाना-गोड्डा (M), जिला-गोड्डा। उम्र-57 वर्ष लगभग केन्द्रीय कारा, दुमका ।	Godda (M) PS-209/2009 GR-670/2009, ST-01/2010, US-302 IPC Pr.Session Judge, Godda. R.I for Life and Fine-5000/- I/D-03 Month
39	तुलसी प्रसाद साह, उम्र-44 वर्ष लगभग, पे०-स्व० जगदीश प्रसाद साह, पता-कुशपहाड़ी, थाना-शिकारीपाड़ा, जिला-दुमका। केन्द्रीय कारा, दुमका ।	Shikaripara PS-30/2009, GR-389/2009, ST-234/2009 US-302/201/34 IPC ADJ-II, Dumka R.I for Life and Fine-5000/-I/D-06 Month

2. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व विहित शपथपत्र भरना अनिवार्य होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ऐनी रिन्कु कुजूर,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

8 अगस्त, 2024

संख्या-14/ए०-10/2019-5029--श्री ओम प्रकाश (झा०पु०से०), तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, कोडरमा सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, झा०स०पु०-01, राँची को केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित व सम्पन्न राजपत्रित पदाधिकारियों की प्रथम अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा 2018 की हिन्दी विषय की परीक्षा में कदाचार करते पाया गया। तदहेतु झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) (i) (iii) का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों के लिए श्री ओम प्रकाश, झा०पु०से० के विरुद्ध संकल्प संख्या-5521, दिनांक-16.10.2019 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य एवं श्री ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर विचार किया गया ।

सभी तथ्यों के समीक्षोपरान्त श्री ओम प्रकाश, झा०पु०से० को 'निन्दन' की शास्ति अधिरोपित करते हुए संकल्प संख्या-5521, दिनांक-16.10.2019 के माध्यम से संचालित विभागीय कार्यवाही का एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है ।

उपर्युक्त आदेश पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 अगस्त, 2024

संख्या-14/ए०-10/2019-5029--श्री ओम प्रकाश (झा०पु०से०), तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, कोडरमा सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, झा०स०पु०-01, राँची को केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित व सम्पन्न राजपत्रित पदाधिकारियों की प्रथम अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा 2018 की हिन्दी विषय की परीक्षा में कदाचार करते पाया गया। तदहेतु झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) (i) (iii) का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों के लिए श्री ओम प्रकाश, झा०पु०से० के विरुद्ध संकल्प संख्या-5521, दिनांक-16.10.2019 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य एवं श्री ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर विचार किया गया ।

सभी तथ्यों के समीक्षोपरान्त श्री ओम प्रकाश, झा०पु०से० को 'निन्दन' की शास्ति अधिरोपित करते हुए संकल्प संख्या-5521, दिनांक-16.10.2019 के माध्यम से संचालित विभागीय कार्यवाही का एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है ।

उपर्युक्त आदेश पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

21 अगस्त, 2024

पत्रांक-03/क०रा०यो०-08/2024 -1971/क०,--

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसान समृद्धि योजना हेतु विभागीय अधिसूचना सं०-743 दिनांक-16.03.2024 द्वारा निर्गत प्रचालन मार्गदर्शिका की कंडिका-10 में संशोधन के संबंध में ।

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसान समृद्धि योजना हेतु विभागीय अधिसूचना सं०-743 दिनांक-16.03.2024 द्वारा प्रचालन मार्गदर्शिका निर्गत है। किसान समृद्धि योजना की स्वीकृति से संबंधित संलेख एवं संलग्न प्रचालन मार्गदर्शिका पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-16.03.2024 को सम्पन्न बैठक में मद सं०-51 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में योजना हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-92 दिनांक-16.03.2024 की कंडिका-13 में निम्न प्रावधान अंकित है :-

उक्त योजना का क्रियान्वयन में स्वीकृत्यादेश एवं विभागीय अधिसूचना सं०-743 दिनांक-16.03.2024 द्वारा अधिसूचित “किसान समृद्धि योजना” की प्रचालन मार्गनिर्देशिका में आवश्यकतानुसार संशोधन/दिशा निर्देश विभागीय स्तर से जारी किया जा सकेगा ।

2. उक्त प्रचालन मार्गदर्शिका की कंडिका-10 में Escrow Account खोल कर भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत प्रावधानित है :-

- परियोजना निदेशक अनुमोदन प्राप्त लाभुकों का 07 दिनों के अन्दर Escrow Account बैंकों में खुलवाना सुनिश्चित करेंगे तथा लाभुकों से 10 प्रतिशत अंशदान Escrow Account में जमा कराना भी सुनिश्चित करेंगे ।
- लाभुकों से 10 प्रतिशत अंशदान प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक, समेति 90 प्रतिशत अनुदान की राशि प्रत्येक Escrow Account में तुरंत जमा करेंगे ।
- Escrow Account में राशि जमा होने के उपरान्त परियोजना निदेशक अधिसूचित कम्पनी को सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु ऑनलाइन निर्देश अग्रसारित करेंगे ।

3. कृषि निदेशक, झारखण्ड द्वारा विषयगत योजना अन्तर्गत Escrow Account के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई का सामना करने तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को दृष्टिपथ रखते हुए योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन हेतु अनुदान की राशि के भुगतान की प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में किसान समृद्धि योजना हेतु विभागीय अधिसूचना सं०-743 दिनांक-16.03.2024 द्वारा निर्गत प्रचालन मार्गदर्शिका की कंडिका-10 में Escrow Account खोल कर भुगतान करने की प्रक्रिया को विलुप्त करते हुए निम्नवत संशोधित प्रक्रिया का प्रावधान किया जाता है :-

- क. कृषकों द्वारा स्वयं के व्यय पर पम्प सेट स्थापित करने पर अनुदान की राशि कृषकों के बैंक खाते में अंतरण किया जायेगा ।

या

- ख. बैंक ऋण के माध्यम से पम्प सेट स्थापित करने पर संबंधित बैंक को अनुदान की राशि अंतरण किया जायेगा ।

या

- ग. कृषकों के लिखित अनुरोध पर कम्पनी के माध्यम से पम्प सेट स्थापित करने पर संबंधित कम्पनी के बैंक खाते में अनुदान की राशि अंतरण किया जायेगा ।

4. पम्प सेट के क्रय एवं उसके अधिष्ठापन के संबंध में स्थानीय पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि हस्तांतरण की कार्यवाही की जायेगी ।
5. विभागीय अधिसूचना सं०-743 दिनांक-16.03.2024 द्वारा किसान समृद्धि योजना हेतु निर्गत प्रचालन मार्गदर्शिका में वर्णित शेष अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी ।
6. संशोधन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबकर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव ।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION5th August, 2024

Memo No.-10/C.B.I.-424/2024-4717--Government of Jharkhand hereby accord consent under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) to all the members of Delhi Special Police Establishment Act to exercise power and jurisdiction under the said Act in the State of Jharkhand, upon request made vide letter No424/SI-4/2022-R, dated 11.07.2024 of DIG of Police/Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of a regular case against Shri Abhay Kumar, the then General Manager (Project), Rail India Technical and Economics Services Ltd. (RITES Ltd.), Ranchi, under Ministry of Railway, for committing offences u/s 13(2) r/w 13(1) (e) of Prevention of Corruption Act, 1988 and u/s 13(2) r/w 13(1) (b) of Prevention of Corruption Act, 1988 (As amended in 2018) and any other offence(s) that may come into light during investigation of case including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand,

Umashankar Prasad Pal,

Under Secretary to Government.

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 जुलाई, 2024

सं०सं०-4/नि०सं०-12-123/2014 का०-4826--श्रीमती रूबी कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 203/20), उप निदेशक, डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची द्वारा उपभोग किए गए अवकाश को निम्नवत स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक 22.11.2022 से 27.05.2023 तक :- उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत ।
- (ii) दिनांक 28.05.2023 से 29.05.2023 तक :- अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत ।
- (iii) दिनांक 30.05.2023 से 25.11.2023 तक :- मातृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 551/वि० दिनांक 01.03.2007 एवं 907/वि० दिनांक 01.07.2010 के तहत ।
- (iv) दिनांक 26.11.2023 से 05.03.2024 तक :- अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

4 सितम्बर, 2024

संख्या-14/विविध-19/2024-5259--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु चलाये गये आंदोलन के विभिन्न श्रेणी के आंदोलनकारियों/आश्रितों को सम्मानित करने एवं अनुमान्य सुविधाएँ प्रदान करने के निमित्त त्रिसदस्यीय झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया। तदक्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या-2502, दिनांक 14.07.2021 द्वारा आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु उक्त आयोग का गठन किया गया, जिसकी कार्यावधि एक वर्ष (दिनांक-13.07.2022 तक) निर्धारित थी। पुनः अधिसूचना संख्या-2836, दिनांक-15.07.2022 द्वारा दिनांक-14.07.2022 के प्रभाव से दो वर्ष यथा दिनांक-13.07.2024 तक के लिए आयोग की कार्यावधि विस्तारित थी। लम्बित आवेदनों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में आयोग की कार्यावधि दिनांक 14.07.2024 के प्रभाव से आगामी एक वर्ष यथा दिनांक 13.07.2025 तक के लिए विस्तारित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दयानन्द कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

भाग 9-ख

निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ, इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MEENA KUMARI RAVI अन्य नाम MEENA KUMARI पिता Late MITKU RAM, शपथ पत्र सं० 105, दिनांक 5 मार्च, 2024 के अनुसार MEENA KUMARI RAVI के नाम से जानी जाऊँगी।

MEENA KUMARI RAVI एवं MEENA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - MOCHISAI NARSANDA,
P.O. - CHAIBASA,
P.S. - MUFFASIL,
DIST. - WEST SINGHBHUM,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MANOJ KUMAR, VIKASH RAJ (अन्य नाम AKKI KUMAR) का पिता, शपथ पत्र सं० 130, दिनांक 15 जुलाई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र VIKASH RAJ के नाम से जाना जायेगा।

VIKASH RAJ एवं AKKI KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - GHARWATAND,
P.O. - CHAMPI,
P.S. - PETARWAR,
DIST. - BOKARO,
PIN - 829123
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHAMIK KUMAR, BHARGAVI SINGH (अन्य नाम AARYA) का पिता, शपथ पत्र सं० 18193, दिनांक 26 जुलाई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री BHARGAVI SINGH के नाम से जानी जायेगी।

BHARGAVI SINGH एवं AARYA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 301, A - BLOCK,
SHRISHTI TOWER SUBHASH NAGAR,
SARAIHELLA,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 828127
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAVINDRA KUMAR CHAURASIYA, MEGHA (अन्य नाम MUNCHUN KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 27, दिनांक 9 जुलाई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री MEGHA के नाम से जानी जायेगी।

MEGHA एवं MUNCHUN KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - LAL BHAWAN SHAHARPURA,
P.O. - SINDRI,
P.S. - BALIAPUR,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 828122
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SWAMI PARIPOORNANANDA SARASWATI अन्य नाम NIRVAN CHAITANYA पिता LAXMAN RAO, शपथ पत्र सं० 22, दिनांक 10 जुलाई, 2024 के अनुसार SWAMI PARIPOORNANANDA SARASWATI के नाम से जाना जाऊँगा।

SWAMI PARIPOORNANANDA SARASWATI एवं NIRVAN CHAITANYA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - CHINMAY ASHRAM,
SOUTH PATH OF RANCHI LAKE,
NEAR VIVEKANAND SAROVAR,
P.S. - HINDPIRI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRAMESHWAR MAHTO अन्य नाम BANSHI MAHTO पिता CHHKVA MAHTO, शपथ पत्र सं० 3111, दिनांक 29 जुलाई, 2024 के अनुसार PRAMESHWAR MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा।

PRAMESHWAR MAHTO एवं BANSHI MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - DHEBADAURI,
P.O. - MANDHANIYA,
P.S. - MAURYAHAND,
DIST. - CHATRA,
PIN - 825408
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PUSHPA DEVI अन्य नाम KUMARI PUSHPA पिता SATYA NARAYAN SINGH, पति SITA RAM CHOUDHARY, शपथ पत्र सं० 590, दिनांक 10 जुलाई, 2024 के अनुसार PUSHPA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

PUSHPA DEVI एवं KUMARI PUSHPA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - HOUSE NO - 04,
LANE - 01, BHAGWATI NAGAR,
KAMRE, RATU RANCHI,
PIN - 835222
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GANGO DEVI अन्य नाम GANGA DEVI पति Late JUGESHWAR PASWAN, शपथ पत्र सं० 90, दिनांक 31 जुलाई, 2024 के अनुसार GANGO DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

GANGO DEVI एवं GANGA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - LOWER SHASTRI NAGAR,
P.O. - GANDHI NAGAR,
P.S. - GONDA,
KANKE ROAD,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BUDHAN BHUIYAN अन्य नाम AMIT RAM पिता KAILA BHUINYA, शपथ पत्र सं० 2141, दिनांक 2 अगस्त, 2024 के अनुसार BUDHAN BHUIYAN के नाम से जाना जाऊंगा।
BUDHAN BHUIYAN एवं AMIT RAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - HESALONG,
P.S. - GIDDI A,
DIST. - HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ROHIT MAHTO अन्य नाम BAHADUR MAHTO पिता PRADIP MAHTO, शपथ पत्र सं० 1903, दिनांक 30 जुलाई, 2024 के अनुसार ROHIT MAHTO के नाम से जाना जाऊंगा।
ROHIT MAHTO एवं BAHADUR MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - PANCHAYAT HALMAD BLOCK SILLI,
VILL. - SAHEDA,
P.O. - HALMAD,
P.S. - SILLI,
HALMAD, HALMAD, SILLI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835102
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MD MOINUDDIN ANSARI अन्य नाम MD NAFEES HASAN पिता MD FAROOQUE ANSARI, शपथ पत्र सं० 89, दिनांक 31 जुलाई, 2024 के अनुसार MD MOINUDDIN ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा।

MD MOINUDDIN ANSARI एवं MD NAFEES HASAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - LANE NO. - 3,
SATTAR COLONY, BARIATU,
P.O. & P.S. - BARIATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834009
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANSHU RANI अन्य नाम AASTHA RANI पिता ASHISH KUMAR GUPTA, शपथ पत्र सं० 3789, दिनांक 1 अगस्त, 2024 के अनुसार ANSHU RANI के नाम से जानी जाऊँगी।

ANSHU RANI एवं AASTHA RANI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - CHATRA CHOWK CHATRA,
P.O. - CHATRA,
P.S. - CHATRA,
DIST. - CHATRA,
PIN - 825401
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BIMLA KACHHAP, ATEN KANDULNA (अन्य नाम TEJAS KANDULNA) की माता, शपथ पत्र सं० 215, दिनांक 4 जुलाई, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र ATEN KANDULNA के नाम से जाना जायेगा।

ATEN KANDULNA एवं TEJAS KANDULNA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - ROAD NO. - 1,
NEAR KRIPALU PUBLIC SCHOOL,
KOKAR, HAIDAR ALI ROAD,
NEW COLONY,
P.O. - KOKAR,
P.S. - SADAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MAYANK AGARWAL अन्य नाम TUSHAR AGARWAL पिता MANOJ KUMAR AGARWAL, शपथ पत्र सं० 6671, दिनांक 24 जुलाई, 2024 के अनुसार MAYANK AGARWAL के नाम से जाना जाऊँगा।

MAYANK AGARWAL एवं TUSHAR AGARWAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - BARAIK MUHALLA GUMLA,
P.S. - GUMLA,
DIST. - GUMLA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, JUSAB BHENGRA अन्य नाम JOSEPH BHENGRA पिता MADU BHENGRA, शपथ पत्र सं० 1080, दिनांक 22 जुलाई, 2024 के अनुसार JUSAB BHENGRA के नाम से जाना जाऊँगा।

JUSAB BHENGRA एवं JOSEPH BHENGRA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - TIRLA,
P.O. - TIRLA,
P.S. - TORPA,
DIST. - KHUNTI,
PIN - 835227
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MADHURI SHARMA अन्य नाम MADHU DEVI एवं MADHURI KUMARI पिता UMESH SHARMA, पति VIKASH KUMAR, शपथ पत्र सं० 219, दिनांक 26 जून, 2024 के अनुसार MADHURI SHARMA के नाम से जानी जाऊँगी।

MADHURI SHARMA, MADHU DEVI एवं MADHURI KUMARI तीनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - KRISHNAPURI, ROAD NO. - 1, CHUTIA,
P.S. - CHUTIA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND
